न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 74 / बी–121 / 2015–16

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06/07 / 2016 को पारित किया गया)

प्रकरण तहसीलदार जोबट का होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे दिनांक 29.6.2016 को आकाशीय बिजली गिरने से आसु पिता धुंधरा उम्र 10 वर्ष की मृत्यू हो गई है। मृतक के वारिशान मे पिता धुधरा पिता कनिया जाति भील निवासी ग्राम सागोटा तहसील जोबट को 4,00,000 / –(चार लाख रूपये) की आर्थिक सहायता की अनुशंसा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट द्वारा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के प्रतिवेदन से सहमत एफ.आई. आर.,पी.एम.रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 संशोधित ज्ञाप कमांक एफ–6–6 / 2002 / सात–3 भोपालदिनांक 24.7.2015 की कंडिका–8 (5) के कमांक–1 के अनुसार नैसर्गिक आपदाओं में जनहानि के मामलों में मृतक व्यक्ति के परिवार / निकटतम वारिश को 4,00,000 / –(चार लाख रूपये) आर्थिक अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान निर्मित है।**

पीड़ित धुंधरा पिता कनिया जाति भील निवासी ग्राम सागोटा तहसील जोबट का पुत्र आसु पिता धुंधरा की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर परिवार / निकटतम वारिशान में उसके पिता धुंधरा पिता कनिया जाति भील निवासी ग्राम सागोटा तहसील जोबट को 4,00,000 / –(चार लाख रूपये) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या 58–लेखाशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबध में राहत 003–अग्नि पिड़ितो को राहत– आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 475 / रीडर / 2016 अलीराजपुर दिनांक 6/7/2016

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर। (बैंक खाते की फोटो कापी संलग्न)
4 प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कार्या. अलीराजपुर की ओर अपलोड हेतु।
5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
6 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
7 तहसीलदार तहसील जोबट ।
8 संबंधित धुंधरा पिता कनिया जाति भील निवासी ग्राम सागोटा तहसील जोबट ओर सूचनार्थ । द्वारा :–तहसीलदार

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर